राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग
राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी
20/198, कावेरी पथ, सैक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर
फोन नं.– 0141.2399335, 2399336, ई–मेल – dcr.raj@rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ 32(01)(10) बा.अ.वि./बाल मित्र योजना/2020/ 8956 जयपुर, दिनांकः 28-01-2021

# आदेश

**विषयः– बाल मित्र योजना संचालन दिशा–निर्देश, 2020 के क्रियान्वयन के सबन्ध में।**

राज्य में लैंगिक हिंसा से पीडित बालक–बालिका एवं उसके परिवार को विचारण (ट्रायल) से पूर्व एवं विचारण के दौरान विभिन्न प्रकार के सहयोग प्रदान करने तथा बच्चे बेहतर केस प्रबंधन के लिये **''बाल मित्र योजना संचालन दिशा–निर्देश, 2020''** जारी किये जाते है–

1. <u>संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, विस्तार</u> ::

1. ये **''बाल मित्र योजना संचालन दिशा–निर्देश, 2020''** कहलायेंगे।
2. ये दिशा–निर्देश सम्पूर्ण राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

2. <u>परिभाषाएं</u> ::

1. इन नियमों में, जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(i) ''बच्चे'' से तात्पर्य लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 2(1)(घ) में परिभाषित बच्चे से अभिप्रेत है;

(ii) "बच्चे का सर्वोत्तम हित" से तात्पर्य किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(9) में परिभाषित बालक का सर्वोत्तम हित से अभिप्रेत है;

(iii) "बाल मित्र" से तात्पर्य ऐसे पात्रता रखने वाले योग्यताधारी सामाजिक कार्यकर्ता से है, जिसे बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे के प्रकरण में नियुक्त सहायक व्यक्ति (Support Person) से अभिप्रेत है;

(iv) "सहायक व्यक्ति" से तात्पर्य लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020 के नियम 2(1)(च) में परिभाषित सहायक व्यक्ति से अभिप्रेत है;

(v) "बाल देखरेख संस्थान" से तात्पर्य किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(21) में परिभाषित बाल देखरेख संस्थान से अभिप्रेत है;



Scanned with CamScanner

(vi) "बाल कल्याण समिति" से तात्पर्य किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 के अन्तर्गत जिला स्तर पर स्थापित बाल कल्याण समिति से अभिप्रेत है;

(vii) ''विशेष न्यायालय" से तात्पर्य लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 28 के अन्तर्गत स्थापित विशेष न्यायालय से अभिप्रेत है;

(viii) "किशोर न्याय बोर्ड" से तात्पर्य किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 के अन्तर्गत जिला स्तर पर स्थापित किशोर न्याय बोर्ड से अभिप्रेत है;

(ix) "सहायक निदेशक" से तात्पर्य जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग में पदस्थापित सहायक निदेशक से अभिप्रेत हैं;

(x) "चाईल्ड प्रोटेक्शन प्लान" से तात्पर्य पीड़ित बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्मित व्यापक विकास योजना से अभिप्रेत हैं;

(xi) ''प्रारूप'' से तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत निर्धारित प्रारूप से अभिप्रेत है;

(xii) ''अधिनियम'' से तात्पर्य लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 से अभिप्रेत है;

(xiii) ''नियम'' से तात्पर्य लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020 से अभिप्रेत है;

(xiv) ''जिला बाल संरक्षण इकाई" से तात्पर्य किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(26) में परिभाषित जिला बाल संरक्षण इकाई से अभिप्रेत है;

(xv) ''बाल अधिकारिता विभाग'' से तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर स्थापित बाल अधिकारिता विभाग से अभिप्रेत है;

(xvi) ''राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी'' से तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा बाल अधिकारिता विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में राज्य स्तर पर स्थापित राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी से अभिप्रेत है;

(xvii) ''राज्य सरकार'' से तात्पर्य राजस्थान सरकार से अभिप्रेत है;

2. अधिनियम अथवा नियम में परिभाषित और उपयुक्त किये गये किन्तु इन दिशा–निर्देशों में परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो अधिनियम अथवा नियम में समुनिर्दिष्ट किया गया है।



Scanned with CamScanner

## 3. उद्देश्य एवं आवश्यकता ::

1. लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत् हिंसा/दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चों के लिये प्रत्येक स्तर पर उन्हें अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने तथा सहज प्रक्रिया के पालन पर जोर दिया गया है।

2. लैंगिक हिंसा से पीडित बालक–बालिका एवं उसके परिवार की आपराधिक न्याय व्यवस्था में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने एवं प्रत्येक स्तर पर पीड़ित बच्चे को सहयोग प्रदान करने के लिये लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत् सहायक व्यक्ति (Support Person) की व्यवस्था स्थापित की गई है।

3. लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत् सहायक व्यक्ति द्वारा लैंगिक हिंसा से पीडित बालक–बालिका, उसके परिवार एवं विभिन्न प्राधिकारियों के बीच मध्यस्थ की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुये पीड़ित बच्चों के लिये न्याय एवं समाज की मुख्यधारा से पुनः जुड़ाव हेतु संरक्षणात्मक वातावरण तैयार किया जा सकता है।

## 4. पात्रता ::

1. कोई सामाजिक कार्यकर्ता जिसे बाल कल्याण समिति (न्यायपीठ) द्वारा लैंगिक हिंसा से पीडित बालक/बालिका के लिये सहायक व्यक्ति (Support Person) नियुक्त किया गया हो।

2. ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या मानव विकास या मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान विषय में स्नातकोत्तर की शैक्षणिक उपाधि एवं बाल संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 05 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान या बाल संरक्षण विषय पर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट प्राप्त योग्यताधारी सामाजिक कार्यकर्ता को सहायक व्यक्ति के रूप में नियुक्ति हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

3. सामाजिक कार्यकर्ता राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।

## 5. सहायक व्यक्ति की नियुक्ति एवं हटाने की प्रकिया ::

1. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत् स्थापित बाल कल्याण समिति (न्यायपीठ) द्वारा लैंगिक हिंसा से पीडित बालक/बालिका के लिये पात्रता रखने वाले योग्यताधारी, सामाजिक कार्यकर्ता को सहायक व्यक्ति (Support Person) नियुक्त किया जायेगा।



Scanned with CamScanner

2. लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत् किसी लैंगिक हिंसा से पीडित बालक/बालिका के प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने अथवा अधिनियम के तहत् देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे के प्रस्तुत होने के 03 दिवस की अवधि में पीडित बालक/बालिका के सहयोग के लिये निर्धारित प्रारूप में सहायक व्यक्ति की नियुक्ति हेतु आदेश जारी किया जायेगा।

3. बाल कल्याण समिति द्वारा सहायक व्यक्ति नियुक्त करने से पूर्व इस संबंध में बच्चे एवं उसके माता–पिता या संरक्षक य अन्य व्यक्ति, जिस पर बच्चा विश्वास करता है, को सूचित किया जायेगा तथा यथा संभव उनकी सहमति प्राप्त की जायेगी।

4. बाल कल्याण समिति द्वारा प्रकरण से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से जुडे किसी सामाजिक कार्यकर्ता को सहायक व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जायेगा।

5. बाल कल्याण समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सहायक व्यक्ति के रूप में नियुक्त किये जाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्ति के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हैं। सामाजिक कार्यकर्ता के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति को सहायक व्यक्ति के कार्य के प्रयोजन अपात्र माना जायेगा।

6. बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे के प्रकरण में सहायक व्यक्ति के नियुक्ति आदेश की प्रति 24 घंटे के भीतर संबंधित सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, संबंधित पुलिस थाने के अनुसंधान अधिकारी/बाल कल्याण पुलिस अधिकारी एवं बाल देखरेख संस्थान को प्रेषित की जायेगी।

7. बाल कल्याण समिति द्वारा प्रकरण में नियुक्त सहायक व्यक्ति को प्रकरण की तत्समय तक की संपूर्ण कार्यवाही की जानकारी प्रदान की जाएगी।

8. योजनान्तर्गत बाल कल्याण समिति द्वारा किसी भी सामाजिक कार्यकर्त्ता एक समय में 05 से अधिक प्रकरणों में सहायक व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जायेगा।

9. बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे या उसके अभिभावक/संरक्षक या जिस पर बच्चा विश्वास करता है, के आग्रह पर सहायक व्यक्ति की सेवायें समाप्त की जा सकेगी। इस संबंध में बच्चे से कोई कारण बताने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

10. बाल कल्याण समिति द्वारा निम्न परिस्थितियों में भी सहायक व्यक्ति को हटाया जा सकेगाः–

    - सहायक व्यक्ति के किसी बाल अपराध में लिप्त होने की सूचना मिलने पर या लिप्त पाये जाने की स्थिति में।
    - सहायक व्यक्ति द्वारा किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार या हिंसा कारित करने की स्थिति में।



Scanned with CamScanner

- सहायक व्यक्ति द्वारा अपनी भूमिका का निर्वहन करने में असफल रहने की स्थिति में अथवा उसके द्वारा बच्चों के प्रकरण में प्रतिकूल प्रभाव डालने तथा प्रतिकूल हस्तक्षेप करने की स्थिति में।

11. बाल कल्याण समिति द्वारा प्रकरण में सहायक व्यक्ति हटाने की सूचना संबंधित पुलिस थाने के अनुसंधान अधिकारी/बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग को प्रेषित की जायेगी।

12. बाल कल्याण समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित पुलिस थाने के अनुसंधान अधिकारी/बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा सहायक व्यक्ति के नियुक्ति/हटाने संबंधी आदेश की सूचना 24 घंटे के भीतर संबंधित विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित की जायेगी।

## 6. सहायक व्यक्ति द्वारा केस प्रबंधन के तहत् प्रदान की जाने वाली सेवायें ::

1. सहायक व्यक्ति द्वारा प्रकरण के शुरूआत से अन्त तक बच्चे को सहायक सेवाएं उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें बच्चे के लिये चाईल्ड प्रोटेक्शन प्लान का निर्माण एवं क्रियान्वयन शामिल होगा।

2. पीडित बच्चे एवं उसके अभिभावक (बच्चा जिस पर विश्वास करता हैं सहित) को उपलब्ध आपातकालीन एवं संकटावस्था सेवाओं की उपलब्धता से अवगत करायेगा।

3. पीडित बच्चे एवं उसके अभिभावक को अधिनियम एवं अन्य विधियों के अधीन उपलब्ध हकदारियों, सेवाओं एवं प्रकरण में विभिन्न स्तर पर होने वाली कार्यवाही, उसकी प्रगति एवं अद्यतनः स्थिति से अवगत करायेगा।

4. विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड, पुलिस थाना, बाल कल्याण समिति एवं अन्य प्राधिकरणों में अनुसंधान/कार्यवाही/जांच/विचारण/चिकित्सा परीक्षण के दौरान बच्चे के साथ मौजूद रहेगा। इस प्रयोजन संबंधित प्राधिकारियों/एजेंसियों के संपर्क में रहेगा तथा उपस्थिति के संबंध में संभावित निर्धारित दिवसों की जानकारी से बच्चे एवं उसके अभिभावक को अवगत करायेगा।

5. पीडित बच्चे को विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड परिसर एवं कार्य–प्रणाली से परिचित करायेगा तथा न्यायिक कार्यवाही/विचारण के दौरान बच्चे के साथ मौजूद रहेगा।

6. पीडित बच्चे के लिये जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से आवश्यकतानुसार परामर्शदाता, दुभाषियों, विशेष शिक्षक की सेवाओं की उपलब्धता हेतु समन्वय सुनिश्चित करेगा।



Scanned with CamScanner

7. पीडित बच्चे को आवश्यकतानुसार उसकी स्वास्थ्य, शिक्षा, भावनात्मक, वित्तीय तथा अन्य अपेक्षित आवश्यकताओं की पूर्ति करवाने में संबंधित प्राधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करेगा।

8. यदि बच्चा किन्हीं कारणों से विशेष न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता है या असहजता महसूस करता है, तो ऑडियों विज्यूअल/विडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बयान/साक्ष्य दर्ज कराने हेतु विशेष न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा।

9. पीडित बच्चे के लिये निःशुल्क विधिक सहायता एवं प्रतिकर की व्यवस्था हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से समन्वय स्थापित करेगा।

10. किसी भी स्थिति में संदिग्ध अपराधी बच्चे के संपर्क के नहीं आये या उसे अपराधी से खतरा होने की स्थिति में सुरक्षा की व्यवस्था के लिये पुलिस थाने से समन्वय करेगा। पीडित बच्चे एवं उसके परिवार को गवाह संरक्षण योजना के तहत पर्याप्त सुरक्षा दिलवाने में सहयोग प्रदान करेगा।

11. पीडित बच्चे एवं उसके परिवार को राजस्थान पीडित प्रतिकर योजना, एस.टी./एस. सी. अधिनियम एवं अन्य माध्यमों से प्रतिकर/राहत उपलब्ध कराने में सहयोग उपलब्ध करायेगा।

12. विशेष लोक अभियोजक/राजकीय अधिवक्ता/बच्चे के अधिवक्ता अथवा पुलिस से सम्पर्क कर बच्चे के प्रकरण से संबंधित वांछित दस्तावेज उपलब्ध करवायेगा तथा प्रकरण की प्रगति से संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर बच्चे एवं उसके अभिभावक को उपलब्ध करायेगा।

13. प्रकरण में विचारण के पश्चात विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय की व्याख्या एवं उपलब्ध विधिक विकल्पों से बच्चे या उसके अभिभावक को अवगत करायेगा।

14. किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा बच्चे से अभद्रता बातचीत करने अथवा बच्चे के साथ किसी प्रकार के दुर्व्यवहार होने की सूचना विशेष न्यायालय, बाल कल्याण समिति एवं पुलिस थाने को उपलब्ध करायेगा।

15. पीड़ित बच्चे की जरूरत एवं प्रकरण की परिस्थिति के अनुरूप बच्चे के हित में संबंधित सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल कल्याण समिति, पुलिस, विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोड एव विशष लोक अभियाजक/राजकीय अधिवक्ता अथवा बच्चे के अधिवक्ता के साथ समन्वय स्थापित कर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।

16. लैंगिंक हिंसा/दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चे के साथ बाल मित्रवृत्त व्यवहार/संवाद स्थापित किया जायेगा तथा पीड़ित बच्चे की निजता एवं गोपनीयता को संरक्षित रखेगा।



Scanned with CamScanner

17. बच्चे की ओर से विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति में यात्रा व्यय के पुनर्भरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में सहयोग प्रदान करेगा।

18. सहायक व्यक्ति निष्पक्ष एवं पूर्वाग्रह रहित रहना तथा बच्चे के संबंध में वास्तविक या कथित हित संघर्ष का खुलासा करना और बिना किसी लाग लपेट के दण्ड प्रक्रिया संहित, 1973 की धारा 282 के अनुसार पूर्ण और सटीक व्याख्या या अनुवाद प्रस्तुत करेगा।

19. बच्चे की निजता एवं प्रकरण की गोपनीयता को प्रत्येक स्तर पर संरक्षित रखना तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 126 के साथ पठित धारा 127 के अधीन गोपनीयता के नियमों से बाध्य रहेगा।

20. बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार प्रकरण में बच्चे के कल्याण एवं सकुशलता के लिये अन्य प्रासंगिक कार्य संपादित करेगा।

21. बच्चे एवं उसके प्रकरण से संबंधित कोई भी दस्तावेज बच्चे एवं उसके अभिभावक की सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति/प्राधिकरण के साथ साझा नहीं करेगा। साथ ही किसी संदिग्ध आरोपी/अभियुक्त पक्ष के साथ किसी प्रकार का कोई संवाद/तालमेल नहीं रखेगा।

7. <u>सहायक व्यक्ति के कार्यों की रिर्पोटिंग एवं पर्यवेक्षण</u> ::

1. सहायक व्यक्ति द्वारा केस प्रबंधन के तहत् प्रदान की जाने वाली सहायक सेवाओं के संबंध में निर्धारित प्रारूप में मासिक स्तर पर किये गये कार्यों की प्रगति रिपोर्ट संबंधित बाल कल्याण समिति तथा सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी।

2. बाल कल्याण समिति तथा सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग द्वारा सहायक व्यक्ति से विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के दौरान पीड़ित बच्चे के साथ मौजूद रहने के संबंध में उपस्थिति प्रमाण–पत्र की प्रति भी प्राप्त की जायेगी।

3. सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग तथा बाल कल्याण समिति द्वारा पीड़ित बच्चे एवं उसके अभिभावक से नियमित अंतराल पर सहायक व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के संबंध में उनकी राय प्राप्त की जायेगी।

4. जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल कल्याण समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सहायक व्यक्ति को बच्चे एवं उसके अभिभावक के साथ संवाद करने एवं अपने दायित्वों के निवर्हन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो।



Scanned with CamScanner

8. वित्तीय प्रावधान ::

1. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत् स्थापित किशोर न्याय निधि से बाल मित्र योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

2. बाल मित्र योजना के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाईयों को किशोर न्याय निधि से नवीन मद "चाईल्ड सपोर्ट सर्विसेज" में आवश्यक बजट आंवटित किया जायेगा।

3. सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग द्वारा बाल कल्याण समिति से सहायक व्यक्ति (सामाजिक कार्यकर्ता) की सेवाओं के संतोषजनक होने के आधार पर सहायक व्यक्ति को केस प्रबंधन के लिये पारिश्रमिक (यात्रा भत्ता सहित) के रूप में राशि रूपये 9,000/– प्रदान की जायेगी।

4. सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग द्वारा सहायक व्यक्ति (सामाजिक कार्यकर्ता) को 02 चरणों में पारिश्रमिक जारी किया जायेगा–

    - विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड में बच्चे के साक्ष्य लेखबद्ध होने उपरांत – राशि रूपये 4,500/–

    - विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड द्वारा प्रकरण निस्तारण उपरांत – राशि रूपये 4,500/–

5. सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग द्वारा बाल कल्याण समिति से सहायक व्यक्ति की सेवाओं के संतोषजनक होने के प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के अधिकतम 15 दिवस में पारिश्रमिक जारी किया जायेगा।

6. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा निर्धारित नवीन मद "चाईल्ड सपोर्ट सर्विसेज" में से सहायक व्यक्ति (सामाजिक कार्यकर्ता) को पारिश्रमिक जारी किया जायेगा

7. सहायक व्यक्ति (सामाजिक कार्यकर्ता) को प्रदान किया जाने वाला पारिश्रमिक सीधे उनके बैंक खाते में जमा कराया जायेगा।

8. बाल कल्याण समिति द्वारा किसी बाल देखरेख संस्थान के कार्मिक/सेवाप्रदाता या जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्मिक/चाइल्ड लाइन (1098) सेवा में कार्यरत कार्मिक को सहायक व्यक्ति के रूप में नियुक्ति करने की स्थिति में पारिश्रमिक देय नहीं होगा।

9. अनुवर्तन/संचालन/समीक्षा ::

1. बाल मित्र योजना के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग एवं जिला बाल संरक्षण इकाई को बजट आंवटन की कार्यवाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट चाईल्ड



Scanned with CamScanner

प्रोटेक्शन सोसायटी (आयुक्त/निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान) द्वारा की जायेगी।

2. बाल मित्र योजना के क्रियान्वयन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी (आयुक्त/निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान) द्वारा त्रैमासिक स्तर पर समीक्षा की जायेगी।

3. राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी द्वारा पीड़ित बच्चों के प्रभावी केस प्रबंधन एवं सहायक व्यक्तियों के कार्यों के सतत् मूल्यांकन एवं मार्गदर्शन के लिये डिजिटल पोर्टल विकसित किया जायेगा।

4. जिले में सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग द्वारा बाल मित्र योजना का प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई तथा बाल कल्याण समिति द्वारा सहायक व्यक्ति को बच्चे एवं उसके अभिभावक के साथ संवाद करने एवं अपने दायित्वों के निर्वहन के लिये अपेक्षित सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा।

6. राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी द्वारा सहायक व्यक्तियों के क्षमतावर्धन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा।

7. सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग द्वारा योजनान्तर्गत प्रत्येक प्रकरण की पृथक पत्रावली तथा बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण संधारित किया जायेगा।

8. राज्य सरकार के निर्देशों के तहत् बाल मित्र योजना संचालन दिशा–निर्देश, 2020 में निर्धारित अभिलेख/जांच/निरीक्षण प्रतिवेदनों, अनुबन्ध पत्र, शर्तों आदि में समय–समय पर संशोधन किया जा सकेगा।

9. बाल मित्र योजना संचालन दिशा–निर्देश, 2020 के निर्वचन, विवेचन एवं संशोधन की शक्तियां राज्य सरकार में निहित होगी।

यह आदेश वित्त विभाग, राजस्थान की आई.डी. संख्या 102004639 दिनांक 05.11.2020 के अनुसरण में जारी किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(महेश चन्द्र शर्मा)
आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव
एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी



Scanned with CamScanner

क्रमांकः एफ 32(01)(10) बा.अ.वि./बाल मित्र योजना/2020/89957-90395 जयपुर, दिनांकः 28-01-2021

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–**

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
4. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज. जयपुर।
5. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. समस्त पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय (पॉक्सो कोर्ट)।
7. समस्त जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई।
8. समस्त पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक।
9. समस्त प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट/सदस्यगण, किशोर न्याय बोर्ड।
10. समस्त अध्यक्ष/सदस्यगण, बाल कल्याण समिति।
11. समस्त सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

सहायक निदेशक–I, आईसीपीएस



Scanned with CamScanner